15

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 337 / 2022

बिल्लू यादव पुत्र श्री अंगनाराम, मु0पो0 दलौता, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 332746

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.10.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 337 / 2022 पर दिनांक 19.10.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 5393–94 दिनांक 19.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(33) / 2022 / 914–15 दिनांक 27.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री बिल्लू यादव पुत्र श्री अंगनाराम मु0पो0 दलौता, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा तहसीलदार खेतडी के विरूद्व प्रथम अपील आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्रेषित किया गया था जो दिनांक 06.10.2022 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र के सन्दर्भ मे अपीलकर्ता को इस कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(33) / 2022 / 876 दिनांक 06.10.2022 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि अधोहस्ताक्षरकर्ता तहसीलदार खेतडी के विरूद्व प्रथम अपील पर सुनवाई करने हेतु अधिकृत नही है। अतः आप सक्षम स्तर पर प्रथम अपील का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(33) / 2022 / 914–15 दिनांक 27.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री बिल्लू यादव पुत्र श्री अंगनाराम मु0पो0 दलौता, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा तहसीलदार खेतडी के विरूद्व प्रथम अपील आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे प्रेषित किया गया था जो दिनांक 06.10.2022 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र के सन्दर्भ मे अपीलकर्ता को उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(33) / 2022 / 876 दिनांक 06.10.2022 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि अधोहस्ताक्षरकर्ता तहसीलदार खेतडी के विरूद्व प्रथम अपील पर सुनवाई करने हेतु अधिकृत नही है। अतः आप सक्षम स्तर पर प्रथम अपील का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार, खेतडी अपीलार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप [illegible] अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते [illegible]

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायाल[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:51:08 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं